हिमाचल प्रदेश भू–परिरक्षण अधिनियम, 1978

धाराओं का क्रम

धाराएः

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय –2

क्षेत्रों की अधिसूचना और विनियमन

3. क्षेत्रों की अधिसूचना ।
4. अधिसूचित क्षेत्रों में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कतिपय विषयों को विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।
5. अधिसूचित क्षेत्रों में कुछ मामलों में विशेष आदेश द्वारा कुछ और विषयों को विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।
6. संकर्मों के निष्पादन और उपाय करने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
7. धारा 4, 5 या 6 के अधीन आदेश में विनियमन, निर्वन्धन या प्रतिषिद्ध की आवश्यकता का परिवर्णन और आदेश का प्रकाशन ।
8. विनियमों, निर्वन्धनों और प्रतिषेधों की उद्घोषणा और निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध अधिकारों के लिए प्रतिकर दावों का ग्रहण करना ।
9. उस समय को नियत करने की शक्ति जिसके भीतर संकर्म इत्यादि निष्पादित किया जाना है।

अध्याय–3

अधिसूचित क्षेत्रों और तलों में प्रवेश और परिसीमित करने की शक्ति

10. धारा 3 के अधीन अधिसूचित स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश, सर्वेक्षण और सीमांकन करने की शक्ति

अध्याय–4

प्रतिकर के दावों और अधिनिर्णयों की जांच

11. दावों की जांच और उन पर अधिनिर्णय ।
12. प्रतिकर अधिनिर्णित करने का ढंग और ऐसे अधिनिर्णय का प्रभाव ।

अध्याय–5

प्रक्रिया, अभिलेख और अपील

13. अधिसूचित क्षेत्रों के बारे में अधिकार अभिलेख ।
14. अधिसूचनाएं उद्घोषित करने और अधिनियम के अधीन जारी किए गए नोटिस, आदेश और आदेशिका तामील करने का ढंग ।

15. अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण ।

अध्याय–6
दण्ड, वादों और नियमों का वर्जन

16. अपराधों के लिए दण्ड ।
17. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबन्धों का लागू होना ।
18. अपराधों का संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति ।
19. अपराधों का शमन करने की शक्ति ।
20. वादों का वर्जन ।
21. नियम बनाने की शक्ति ।
22 निरसन और व्यावृत्तियां ।

हिमाचल प्रदेश भू–परिरक्षण अधिनियम, 1978
(1978 का अधिनियम संख्यांक 28)[1]

राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख, 23 मार्च, 1994 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 23 मार्च, 1994 को पृष्ठ संख्या 393 से 404 पर प्रकाशित किया गया ।

हिमाचल प्रदेश के राज्य क्षेत्रों के कतिपय भागों के बेहतर परिरक्षण और संरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**.– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–परिरक्षण अधिनियम, 1978 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं**.– इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से भिन्न आशय प्रतीत न हो,––

(क) "भूमि" से किसी परिरक्षित या संरक्षित क्षेत्र के भीतर या इस अधिनियम में उपबन्धित रीति के भीतर संव्यवहार की गई भूमि अभिप्रेत है और भूमि से और भूबद्ध या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजों से पैदा होने वाले लाभ इसके अन्तर्गत है ;

———————————————

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 23 मार्च, 1994 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 23 मार्च, 1994 को पृष्ठ संख्या 393 से 404 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे ।

(ख) "चो" से हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय श्रेणियों द्वारा या उनसे प्रवाहित होने वाली सरिता या वेगधारा अभिप्रेत है ;

(ग) "वृक्ष" "इमारती लकड़ी" "बन उपज" और "पशु" के क्रमशः यही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 2 में अलग–अलग से उनके हैं ;

(घ) "हितबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किए गए किन्हीं उपायों के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर में किसी हित का दावा करने वाले सभी व्यक्ति है;

(ङ) "उपायुक्त" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय उपायुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अधिकारी या अधिकारीगण हैं ;

(च) "अधिकार धारक" के अन्तर्गत निम्नलिखित है––

(i) भूमि का या उसमें अधिकार रखने वाले व्यक्ति जो अभिधारी या बंधक–दार नहीं है ;और

(ii) वन उपज का संग्रहण करने या चरागाह की पराई का अधिकार रखने वाले व्यक्ति; और

(छ) "कटाव" के अन्तर्गत वायु या पानी की क्रिया द्वारा मिट्टी, मृदा, पत्थर या अन्य सामग्री का हटाना या विस्थापित करना है ।

अध्याय–2

क्षेत्रों की अधिसूचना और विनियमन

3. **क्षेत्रों की अधिसूचना.**– जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कटाव के अधीन या संभाव्यतः कटाव के अधीन जाने वाले किसी क्षेत्र में अवमृदा जल या कटाव के निवारण के संरक्षण के लिए उपबन्ध किया जाना वांछनीय है तो, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, तद्नुसार निर्देश कर सकेगी ।

4. **अधिसूचित क्षेत्रों में साधारण या विशेष आदेश द्वारा कतिपय विषयों को विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.**– धारा 3 के अधीन साधारणतया अधिसूचित क्षेत्र या ऐसे किसी क्षेत्र के सम्पूर्ण या किसी भाग के बारे में, राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निम्नलिखित को अस्थाई तौर पर विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकेगीः–

(क) धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व सामान्यतः खेती के अधीन न होने वाली भूमि का वृक्षहीन बनाया जाना, समाप्त किया जाना, या खेती करना;

(ख) ऐसे स्थानों पर जहां धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व ऐसा पत्थर या चूना सामान्यतः खदानित या जलाया नहीं जाता था, पत्थर की खदान क्रिया करना या चुना जलाना;

(ग) वृक्षों या इमारती लकड़ी का कटान अथवा इस धारा के खण्ड (ख) में यथावर्णित से भिन्न ऐसे क्षेत्र में अधिकार धारक के वास्तविक घरेलू या कृषि प्रयोजनों के सिवाय,

घास से भिन्न, किसी वन उपज का संग्रहण या हटाना अथवा किसी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन लाना;

(घ) वृक्षों, इमारती लकड़ी या वन उपज को आग लगाना;

(ङ) भेड़, बकरियों या ऊंटों का प्रवेश, झुण्ड में लाना, चराना या रखना ;

(च) ऐसे किसी क्षेत्र से बाहर जाने वाली वन उपज का परीक्षण करना; और

(छ) ऐसे किसी क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर या आस–पास स्थित नगरों और ग्रामों के निवासियों को वहां से अपने प्रयोग के लिए कोई पेड़, इमारती लकड़ी या वन उपज लेने या उसमें भेड़, बकरी या ऊंट चराने अथवा खेती करने या इमारतों का निर्माण करने के लिए अनुज्ञापत्र देना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्रनुज्ञापत्रों को पेश करना और लौटाना ।

5. **अधिसूचित क्षेत्रों में कुछ मामलों में, विशेष आदेश द्वारा, कुछ और विषयों को विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.**– (क) धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व सामान्यतः खेती अधीन किसी भूमि को जोतना ;

(ख) ऐसे स्थानों पर जहां धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व ऐसा पत्थर या चूना सामान्यतः खदानित या जलाया नहीं जाता था, पत्थर की खदान क्रिया करना व चूना जलाना;

(ग) इस धारा के खण्ड (ख) में यथावर्णित से भिन्न, वृक्षों और इमारती लकड़ी का कटान, या ऐसे क्षेत्र में अधिकार धारक के वास्तविक घरेलू या कृषि प्रयोजनों के सिवाय, घास से भिन्न, किसी वन उपज का संग्रहण या हटाना या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन लाना ;

(घ) साधारणतया भेड़, बकरी और ऊंट या ऐसे पशुओं के किसी वर्ग या विवरण से भिन्न पशु का प्रवेश, झुण्ड में लाना, चराना या रखना ।

6. **संकर्मों के निष्पादन और उपाय करने की अपेक्षा करने की शक्ति.**– साधारणतया धारा 3 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों या ऐसे क्षेत्र के सम्पूर्ण या किसी भाग के बारे में, राज्य सरकार, निम्नलिखित के बारे में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश कर सकेगी–

(क) खेतों को समतल करना, टैरेस बनाना, जल–निकास और मेड़ बन्दी करना;
(ख) खेलों और खादरों में मिट्टी संकमों का निर्माण;
(ग) सरिता जल के लिए नालियों का उपबन्ध
(घ) वायु या जल की क्रिया से भूमि का संरक्षण;
(ङ) सरिताओं का नियंत्रण; और
(च) ऐसे अन्य संकर्मों का निष्पादन और ऐसे अन्य उपायों को कार्यान्वित करना जैसे राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

7. धारा 4, 5 या 6 के अधीन आदेश में विनियमन, निर्बन्धन, या प्रतिशोध की आवश्यकता का परिवर्णन और आदेश का प्रकाशन.– धारा 4, 5 या 6 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और यह उपवर्णित करेगा कि सम्यक् जांच के पश्चात्, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आदेश में समाविष्ट, विनियम, निर्बन्धन, प्रतिषेध या निदेश आवश्यक हैं ।

8. विनियमों, निर्बन्धनों और प्रतिषेधों की उद्घोषणा और निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध अधिकारों के लिए प्रतिकर दावों का ग्रहण करना.– (1) जब धारा 3 के अधीन किसी क्षेत्र के बारे में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई हो, और –

(क) धारा 4 या धारा 6 के अधीन किया गया कोई साधारण आदेश ऐसे प्रकाशन पर ऐसे क्षेत्र में लागू हो जाता है ; या

(ख) ऐसे क्षेत्र के बारे में धारा 4, 5 या 6 के अधीन कोई विशेष आदेश किया जाता है; तो उपायुक्त ऐसे साधारण या विशेष आदेश के उपबन्धों का सार्वजनिक नोटिस दिलवाएगा, और यदि ऐसे किसी आदेश के उपबन्ध किन्हीं विद्यमान अधिकारों के प्रयोग को निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करते हों तो, देश की भाषा में और प्रत्येक नगर और ग्राम में जिसकी सीमाओं के अन्तर्गत क्षेत्र का कोई भाग आता हो जिस के भीतर या उस पर ऐसे किसी अधिकार को इस प्रकार निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध किया जाता है, विनियमों, निर्बंधनों और प्रतिषेधों को कथित करते हुए जो ऐसे आदेश द्वारा अधिरोपित किए गए हों, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं या उसके किसी भाग या भागों के भीतर, एक उद् घोषणा भी प्रकाशित करेगा । और ऐसी उद्घोषणा की तारीख से कम से कम तीन मास की अवधि नियत की जाएगी जिस अवधि के भीतर इस प्रकार निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध किसी अधिकार के बारे में किसी प्रतिकर का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से, ऐसे अधिकारी को या तो ऐसे अधिकार की प्रकृति और विस्तार और उसके बारे में दावा किए गए प्रतिकर की राशि और विवरण, यदि कोई हों, को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित नोटिस प्रस्तुत करने या उसके समक्ष उपस्थित होकर उसका कथन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन की गई उद्घोषणा में नियत समय के भीतर न किए गए किसी दावे को नामन्जूर कर दिया जाएगा :

परन्तु आयुक्त की पूर्व मन्जूरी से, उपायुक्त ऐसे किसी दावे को ग्रहण कर सकेगा मानो यह ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था ।

9. उस समय को नियत करने की शक्ति जिसके भीतर संकर्म इत्यादि निष्पादित किया जाना है.– (1) जब धारा 6 के अधीन आदेश जारी कर दिया गया हो तो उपायुक्त नोटिस द्वारा भूमि के स्वामी या अधिभोगी से ऐसे संकर्मों का निष्पादन करने या ऐसे उपाय करने जैसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाएं की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक नोटिस में उस समय का, जिसके भीतर संकर्म को निष्पादित किया जाना है या उपाय किए जाने हैं, का कथन किया जाएगा ।

(3) यथा पूर्वोक्त ऐसे नोटिस में अन्तर्विष्ट किसी आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर जैसी इस निमित्त उपायुक्त अनुज्ञात करे, ऐसी रीति में जैसी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, उपायुक्त को अपने आक्षेपों का नोटिस तामील कर सकेगा ।

(4) यदि और जहां तक, इस धारा के अधीन आक्षेप, नोटिस में या उस के सम्बन्ध में किसी अप्ररूपिता, त्रुटि या गलती के आधार पर आधारित है तो उपायुक्त आक्षेप को रद्द कर देगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अप्ररुपिता, त्रुटि या गलती तात्विक नहीं थी ।

(5) यदि आक्षेप निम्नलिखित सभी या किन्हीं आधारों पर लाया जाता है, अर्थातः–

(क) कि नोटिस स्वामी के स्थान पर प्रश्नगत भूमि के अधिभोगी पर या अधिभोगी के स्थान पर स्वामी पर विधिपूर्वक तामील किया गया होता, और कि यह इसके लिए इस प्रकार तामील किया जाना सामयपूर्ण हुआ होता;

(ख) यह कि स्वामी, अधिभोग–अभिधारी, सकब्जा बंधकदार, या पट्टेदार, या फार्म धारक, या लाभान्वित भूमि में या पर कुछ अन्य अधिकार रखने वाले के नाते, किसी अन्य व्यक्ति को किन्हीं संकर्मों को निष्पादित करने या कोई अपेक्षित उपाय करने के व्यय के प्रति अभिदाय करना है ;

(ग) जहां संकर्म या उपाय प्रश्नगत भूमि और अन्य भूमि की सामान्य प्रसुविधा के लिए संकर्म या उपाय है, तो वह अन्य व्यक्ति जो भूमि का स्वामी या अधिभोगी होने के कारण लाभान्वित होगा । वह किन्हीं संकर्मों को निष्पादित करने या अपेक्षित उपाय करने के प्रतिव्यव का अभिदाय करेगा; तो आक्षेपकर्ता अपने आक्षेप के नोटिस की एक प्रति खण्ड (क) से (ग) में निर्दिष्ट प्रत्येक अन्य व्यक्ति पर तामील करेगा और आक्षेप की सुनवाई करने पर उपायुक्त, उस व्यक्ति के संबन्ध में जिस द्वारा कोई संकर्म निष्पादित किया जाना है या उपाय किया जाना है अथवा संकर्म या उपाय के खर्च के प्रति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिदाय किया जाना है अथवा उस अनुपात के बारे में जिसमें व्यय जो उप–धारा (6) के अधीन उपायुक्त द्वारा वसूलीय बनता हो, आक्षेपकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाना है, ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह ठीक समझें :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उस द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने बाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो । इस उप–धारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय उपायुक्त निम्नलिखित के बारे में ध्यान रखेगा :

(क) जहां तक स्वामी का और अधिभोगी का सम्बन्ध है, निर्बन्धन और शर्तो, क्या वे संविदात्मक है या कानूनी, अभिधृति और संकर्मों की प्रकृति और अपेक्षित उपाय ; और

(ख) किसी मामले में, सम्बद्ध विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ की मात्रा ।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी नोटिस या आदेश द्वारा किसी संकर्म को निष्पादित करने या कोई उपाय करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे नोटिस या आदेश का पालन करने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा ।

(7) यथापूर्वोक्त आक्षेप के ऐसे अधिकार और धारा 15 के अधीन अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, यदि नोटिस द्वारा संकर्म को निष्पादित करने या उपाय करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, उस द्वारा उपदर्शित परिसीमित समय के भीतर संकर्म को निष्पादित करने या उपाय करने में असफल रहता है तो उपायुक्त स्वयं या किसी एजेन्ट द्वारा संकर्मों को निष्पादित कर सकेगा या उपाय कर सकेगा और उस द्वारा ऐसा करने में युक्तियुक्त रूप से उपगत व्ययों को उस व्यक्ति से वसूल कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व उपायुक्त के लिए, उप–धारा (5) के, खण्ड (क) के अधीन आक्षेप से भिन्न किसी आक्षेप के या ऐसे आक्षेप पर किसी भी विनिश्चय के विरुद्ध किसी के विनिश्चय के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा ।

(8) यदि, किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किसी संकर्म या किए गए उपाय का खर्च उपायुक्त द्वारा इस निमित्त जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख या ऐसी तारीख के जैसी कि उस द्वारा नियत की जाती है, पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा, जिससे यह देय है, असंदत रहता है, तो ऐसा खर्च भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा और इस निमित्त उपायुक्त द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र इस प्रकार वसूलीय रकम और उसके लिए दायी व्यक्ति के बारे में अन्तिम और निश्चायक प्रमाण होगा ।

(9) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा, जैसी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए, और ऐसे प्रकाशन पर, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, उस द्वारा प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को उसका सम्यक् नोटिस हुआ समझा जाएगा ।

(10) उपायुक्त, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को, किसी आक्षेप की जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो इस धारा के अधीन लाया जाए:

परन्तु ऐसे किसी आक्षेप पर, स्वयं उपायुक्त के सिवाय कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(11) इस धारा के अधीन लाए गए आक्षेप पर आदेश करते समय, उपायुक्त का मार्गदर्शन ऐसे नियमों द्वारा किया जाएगा, यदि कोई हों, जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए ।

(12) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सम्पदा" पद का वही अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 में इसका है ।

(1954 का 6)

अध्याय–3

अधिसूचित क्षेत्रों और तलों में प्रवेश और परिसीमित करने की शक्ति

10. धारा 3 के अधीन अधिसूचित स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश, सर्वेक्षण और सीमांकन करने की शक्ति.— उपायुक्त और उस द्वारा यथा प्राधिकृत, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, समय–समय पर जैसा उस अवसर पर आवश्यक हो निम्नलिखित विधिपूर्वक होगा, ———

(क) किसी क्षेत्र में समाविष्ट किसी भूमि में जिसके बारे में धारा 3 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है या जिसके बारे में धारा 6 के अधीन अधिसूचना जारी की जाना प्रस्तावित है, प्रवेश करना और उसका सर्वेक्षण करना;

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र पर तल चिन्ह परिनिर्मित करना और सीमाओं को परिसीमित और सीमांकित करना ; और

(ग) किसी भूमि को पर्याप्त रूप से परिरक्षित या संरक्षित करने के लिए अथवा इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य सभी कार्य और बातें करना जो आवश्यक हों :

परन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन किसी संक्रिया को क्रियान्वित करने में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति या अधिकारों को हुई किसी नुकसानों या क्षति को इस अधिनियम में उपबन्धित रीति में निर्धारित और अवधारित किया जाएगा और उसके बारे में युक्ति–युक्त प्रतिकर दिया जाएगा ।

अध्याय–4

प्रतिकर के दावों और अधिनिर्णयों की जांच

11. दावों की जांच और उन पर अधिनिर्णय.— (1) उपायुक्त–

(क) धारा 8 के अधीन किए गए सभी दावों की जांच करने के लिए तारीख नियत करेगा और स्वविवेकाधिकार से, समय–समय पर, उस द्वारा नियत की जाने वाली तारीख तक जांच को स्थगित कर सकेगा ;

(ख) धारा 8 के अधीन किए गए सभी कथनों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा;

(ग) धारा 8 के अधीन सम्यक् रूप से प्रस्तुत सभी दावों की जांच करेगा; और

(घ) ऐसे दावे पर, दावाकृत अधिकार की प्रकृति और विस्तार, ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति या करने वाला व्यक्ति, विस्तार, यदि कोई हों, जिसके लिए, और व्यक्ति जिसके या जिनके पक्ष में अधिकार स्थापित हुआ हो, विस्तार जिस तक इसे निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध किया जाना है और अधिनिर्णित प्रतिकर की प्रकृति और रकम, यदि कोई हो, को उपवर्णित करते हुए अधिनिर्णय देगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक जांच के प्रयोजनों के लिए, उपायुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) के अधीन विचारणीय वादों में सिविल न्यायालय की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।

(3) उपायुक्त अपने अधिनिर्णय की सूचना उपस्थित हितबद्ध व्यक्तियों या उनके प्रतिनिधियों को देगा और उनकी स्वीकृति अभिलिखित करेगा जो इसे स्वीकार करें। जो उपस्थित नहीं है उनको उपायुक्त अपने अधिनिर्णय की तुरन्त सूचना दिलवाएगा ।

(1894 का 1)

12. प्रतिकर अधिनिर्णित करने का ढंग और ऐसे अधिनिर्णय का प्रभाव.– (1)प्रतिकर की रकम अवधारित करते समय उपायुक्त का, जहां तक हो सके, भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा अधिनियम, 1894 की धारा 23 और 24 के उपबन्धों द्वारा और ऐसे मामलों में जिनमें उन उपबन्धों के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती हो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा जो न्यायसंगत और युक्तियुक्त है, मार्ग दर्शन किया जाएगा ।

(2) उपायुक्त, राज्य सरकार की मंजूरी और हकदार व्यक्ति की सहमति से, धन के बजाए, भूमि के रूप में या राजस्व में कटौती द्वारा अथवा किसी अन्य रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

(3) यदि किसी मामले में, किसी अधिकार के प्रयोग को केवल कुछ समय के लिए ही प्रतिषिद्ध किया जाता है तो, प्रतिकर केवल उस अवधि के बारे में ही अधिनिर्णीत किया जाएगा जिसके दौरान ऐसे अधिकार के प्रयोग को इस प्रकार प्रतिषिद्ध किया गया है ।

अध्याय– 5

प्रक्रिया, अभिलेख और अपील

13. अधिसूचित क्षेत्रों के बारे में अधिकार अभिलेख.– (1) उपायुक्त, धारा 3 के अधीन अधिसूचित, प्रत्येक क्षेत्र के लिए, धारा 4 और धारा 5 में उल्लिखित सभी अधिकारों की प्रकृति, विवरण, स्थानीय स्थिति और विस्तार को बताते हुए निम्नलिखित अभिलेख तैयार करेगा–

(क) धारा 3 के अधीन उससे सम्बन्धित अधिसूचना के प्रकाशन के समय ऐसे क्षेत्र के भीतर विद्यमान;

(ख) धारा 4 या धारा 5 के अधीन किसी आदेश द्वारा विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध ।

(2) जब धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाता है तो इसका किसी अधिकार पर प्रभाव भी उसमें अभिलिखित किया जायेगा ।

(3) इस धारा के अधीन तैयार किए गए अभिलेख को सही माना जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है या उसके लिए विधिपूर्वक नई प्रविष्टि प्रतिस्थापित नहीं की जाती है ।

14. **अधिसूचनाएं उद्‌घोषित करने और अधिनियम के अधीन जारी किए गए नोटिस, आदेश और आदेशिका तामील करने का ढंग.**– (1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रकाशन पर उपायुक्त, उस परिक्षेत्र में सुविधाजनक स्थान पर जिस से ऐसी अधिसूचना सम्बन्धित है, उसके सार की सार्बजनिक सूचना दिलवाएगा ।

(1954 का 6) (2) हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 21, 22 और 23 में विहित प्रक्रिया का, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में, जहां तक हो सके, अनुसरण किया जाएगा ।

15. **अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण.**– इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त द्वारा पारित प्रत्येक आदेश और किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय क्रमशः अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षणके प्रयोजनों के लिए, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15, 16 मौर 17
(1954 का 6) के अर्थ के अन्तर्गत कलक्टर का आदेश समझा जाएगा :

परन्तु इस अधिनियम की किसी भी बात को, किसी अधिनिर्णीत प्रतिकर के प्रभाजन या ऐसे व्यक्तियों अथवा उनमें से किसी के मध्य उसके वितरण के विषय में हितबद्ध व्यक्तियों के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद को विनिश्चित करने की किसी सिबिल न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित करने वाली नहीं समझा जाएगा ।

अध्याय–6
दण्ड, वादों और नियमों का वर्जन

16. **अपराधों के लिए दण्ड.**– कोई व्यक्ति जो, धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर धारा 4, 5, 6 या 9 के अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों, अधिरोपित निर्बन्धनों या प्रतिषेधों अथवा पारित आदेश या की गई अध्यपेक्षा को भंग करता है या घारा 10 के अधीन किए गए कार्यों या बातों के निष्पादन में, किसी प्रकार से जो भी हो, बाधा डालता है या प्रतिरोध करता है, कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

17. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबन्धों का लागू होना.– भारतीय वन अधिनियम, (1927 का 16) 1927 की धारा 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 (अन्तिम वाक्य को अपवर्जित करते हुए), 66 और 73 के उपबन्धों को, जहां तक लागू हों, इस अधिनियम के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा और उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए, धारा 16 के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध "वन अपराध" समझा जाएगा और धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी क्षेत्र के प्रबन्ध के लिए यथा अभिरक्षक या अन्यथा नियोजित प्रत्येक अधिकारी, वन अधिकारी समझा जाएगा ।

18. अपराधों का संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति.– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी वन अपराध का, जो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि (1974 का 2) छः मास से अधिक नहीं हो, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये से अधिक न हो, या दोनों से दण्डनीय हो, संक्षेपतः विचारण करेगा ।

19. अपराधों को शमन करने को शक्ति.– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी राजपत्रित वन अधिकारी को निम्नलिखित के लिए सशक्त कर सकेगीः–

(क) किसी व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध, उचित संदेह विद्यमान है कि उसने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 62 में विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न, कोई वन (1927 का 16) अपराध किया है, अपराध के लिए, जिसका ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह है, प्रतिकर के रूप में धनराशि स्वीकार करना; और

(ख) जब अधिहरण के लिए यथा दायी किसी सम्पत्ति को अभिगृहीत किया गया है तो ऐसे अधिकारी द्वारा उसके यथा प्राक्कलित मूल्य के संदाय पर उसको निर्मुक्त करना ।

(2) ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति, ऐसी, धनराशि या ऐसे मूल्य अथवा दोनों, के संदाय पर, संदिग्ध व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, को उन्मोचित कर दिया जायेगा, और अभिगृहीत सम्पत्ति, यदि कोई हो, निर्मुक्त कर दी जायेगी, और ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

(3) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में प्रत्येक मामले में, पांच सौ रुपये की राशि से अधिक नहीं होगी ।

20. वादों का वर्जन.– इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं होगा, और इस अधिनियम के अधीन, उस द्वारा सद्भावपूर्वक की गई या की गई तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई वाद नहीं होगा ।

21. नियम बनाने की शक्ति.– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत निम्नलिखित नियम बना सकेगी, ––

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने ; और

(ख) साधारणतया इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे। (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

22. **निरसन और व्यावृत्तियां.**– पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त दि पंजाब प्रिजर्वेशन ऐक्ट,
(1966 का 31) 1900 और पूर्व मण्डी राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त मण्डी स्टेट ऐनटि–इरोजन
(1900 का 2) ऐक्ट, 2004 विक्रमी, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु एतद्द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, जारी की गई अधिसूचनाएं या प्रारम्भ अथवा चालू की गई कार्यवाहियां हैं, जहां तक ये इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई, जारी की गई प्रारम्भ या चालू रखी गई समझी जाएगी ।